The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 11 | November 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

रूहेलखंड में ब्रिटिश हस्तक्षेप और राजनीतिक सत्ता का संक्रमणः एक ऐतिहासिक अध्ययन (1801–1857)

अंकित कुमार

(शोधार्थी, इतिहास विभाग, बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी (बी.जी.आर.) परिसर, पौड़ी गढ़वाल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, Email-ankitrockers51@gmail.com

प्रमोद सिंह

(शोधार्थी, इतिहास विभाग, स्वामी राम तीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17929036

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-11-2025

Published: 10-12-2025

Keywords:

रूहेलखंड, 1801 की संधि, सत्ता संक्रमण, औपनिवेशिक प्रशासन, 1857 का विद्रोह।

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध पत्र 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रूहेलखंड क्षेत्र में हुए राजनीतिक और प्रशासनिक संक्रमण का ऐतिहासिक विश्लेषण है, जिसका केंद्र बिंदु 1801 से 1857 का कालखंड है। 10 नवंबर 1801 की संधि के तहत अवध के नवाब द्वारा रूहेलखंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना एक निर्णायक मोड़ था, जिसने क्षेत्र की पारंपरिक रूहेला और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर एक नई औपनिवेशिक नौकरशाही को स्थापित किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह विश्लेषित करना है कि कैसे ब्रिटिश हस्तक्षेप ने केवल राजनीतिक नियंत्रण ही नहीं, बल्कि भू–राजस्व, न्याय प्रणाली और सामाजिक ढांचे में भी आमूलचूल परिवर्तन किए। अध्ययन स्पष्ट करता है कि अंग्रेजों की कठोर राजस्व नीतियों और जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं ने स्थानीय कुलीन वर्ग को बेदखल कर दिया और कृषक समाज को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया। निष्कर्षतः, यह शोध पत्र तर्क देता है कि 1857 का महाविद्रोह रूहेलखंड में कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह 1801 के बाद से चली आ रही दमनकारी नीतियों और सांस्कृतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध एक संचित जनाक्रोश था, जिसकी परिणति खान बहादुर खान के नेतृत्व में हुए विद्रोह के रूप में सामने आई।

प्रस्तावना

रूहेलखंड, उत्तर प्रदेश का वह उपजाऊ क्षेत्र जो गंगा के बाएं किनारे और हिमालय की तलहटी के बीच स्थित है, 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यह क्षेत्र अफगान प्रवासियों, जिन्हें 'रूहेला' (पहाड़ों के निवासी) कहा जाता था, का गढ़ माना जाता था। 18वीं शताब्दी के मध्य में रूहेलों ने यहाँ एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। हालाँकि, 19वीं शताब्दी की शुरुआत भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत थी।

वर्ष 1801 रूहेलखंड के इतिहास में एक जल–विभाजक वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष अवध के नवाब सआदत अली खान ने 'सहायक संधि' के दबाव और कर्ज के बोझ के तहत, रूहेलखंड सहित अपने राज्य के आधे हिस्से को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसे 'सीडेड प्रोविन्सेस' कहा गया। यह शोध पत्र 1801 से 1857 के बीच की उस आधी सदी का विश्लेषण करता है, जिसमें रूहेलखंड में रूहेला सरदारों की सामंती सत्ता समाप्त हुई और ब्रिटिश औपनिवेशिक नौकरशाही की पकड़ मजबूत हुई। यह काल केवल सत्ता के हस्तांतरण का नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का काल था, जिसकी परिणति 1857 के महान विद्रोह में हुई।

शोध के उद्देश्य

- 1801 की संधि के राजनीतिक कारणों का अध्ययन करना।
- रूहेलखंड में स्थापित ब्रिटिश प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था की स्थापना का विश्लेषण करना।
- ब्रिटिश भू–राजस्व नीतियों और नई जमींदारी प्रथा द्वारा स्थानीय कुलीन वर्ग व किसानों पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- 1801 से 1857 के मध्य शोषण के परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान की भूमिका की जांच करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक पर आधारित है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के तथ्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड, जिला गजटियर्स और समकालीन इतिहासकारों के वृत्तांतों से संकलित किया गया है। इसके साथ ही, आधुनिक इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकों और शोध पत्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है ताकि रूहेलखंड में औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के कारणों और परिणामों की निष्पक्ष व्याख्या की जा सके। यह अध्ययन गुणात्मक है और घटनाओं के कालानुक्रमिक विवरण के साथ–साथ उनके कारण–प्रभाव संबंधों पर केंद्रित है।

■ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और 1801 का सत्ता हस्तांतरण

रूहेलखंड में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चल रही जटिल कूटनीतिक रस्साकशी का परिणाम थी। 1774 के रूहेला युद्ध के बाद रूहेलखंड, फैजुल्ला खान के रामपुर रियासत को छोड़कर, अवध के नवाब के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत तक, अवध का दरबार स्वयं ब्रिटिश शिकंजे में कसता जा रहा था।

लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति और अवध पर दबाव

वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली के भारत आगमन के साथ ही ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों ने एक आक्रामक मोड़ ले लिया। उसने 'सहायक संधि' को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का मुख्य हथियार बनाया। अवध, जो अब तक अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षित 'बफर स्टेट' की भूमिका निभा रहा था, वेलेजली की नजरों में खटकने लगा और उसने वहां व्याप्त कथित 'कुप्रशासन' को हस्तक्षेप का आधार बना लिया। उस समय अवध के नवाब सआदत अली खान (1798–1814) न केवल कंपनी के भारी कर्ज तले दबे थे, बल्कि उन पर 'सुरक्षा' के नाम पर तैनात ब्रिटिश सेना का खर्च भी लगातार थोपा जा रहा था।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 1799–1800 के दौरान वेलेजली ने नवाब पर शिकंजा कसते हुए मांग की कि वे अपनी सेना भंग कर दें और ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों की संख्या बढ़ाएं। इस दबाव से तंग आकर नवाब ने गद्दी छोड़ने तक की पेशकश कर दी, लेकिन चतुर वेलेजली की दिलचस्पी नवाब के सिंहासन में नहीं, बल्कि अवध के उपजाऊ इलाकों में थी। ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल स्कॉट ने नवाब को स्पष्ट कर दिया कि कंपनी अब नकद भुगतान से संतुष्ट नहीं होगीय उसे स्थायी रूप से ऐसा भू–भाग चाहिए, जिसके राजस्व से विशाल ब्रिटिश सेना का खर्च उठाया जा सके।

संधि के प्रमुख प्रावधान

इस संधि के तहत, नवाब सआदत अली खान ने हमेशा के लिए अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया।

इस हस्तांतरण में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल थे

- रूहेलखंड जिसमें वर्तमान बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं और शाहजहांपुर के जिले शामिल थे।
- दोआब का निचला हिस्सा (इटावा, कानपुर, इलाहाबाद आदि)।
- गोरखपुर मंडल।

अनुमान लगाया गया कि इन क्षेत्रों से वार्षिक राजस्व लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपये (तत्कालीन मुद्रा में 1,35,23,474 रुपये) प्राप्त होगा, जो ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए पर्याप्त माना गया।

रूहेलखंड का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय

रोहिलखंड का इस संधि पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा 1774 के बाद जब रहेला सरदार के साथ अवध के नवाब की संधि हुई थी तब रोहिलखंड अपना भविष्य अवध के साथ देख रहा था किंतु 1801 में वह भविष्य भी जाता रहा जब रोहिलखंड औपनिवेशिक सरकार के अधीन आ गया दूसरा ब्रिटिश सरकार के लिए रोहिलखंड का सामरिक महत्व बहुत ही अधिक था क्योंकि उसके द्वारा रोहिलखंड क्षेत्र को एक बफर क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया गया जिससे कि बंगाल का क्षेत्र सुरक्षित रह सके साथ ही रोहिलखंड का क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण था ऊपरी दोआव क्षेत्र में स्थित यह भूभाग कृषि की दृष्टि से बड़ा उपजाऊ था यहां जंगल महत्वपूर्ण जंगली उत्पादों से संपन्न थे।

प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था (1801–1803)

इस क्षेत्र पर नियंत्रण के पश्चात गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली ने अपने छोटे भाई आर्थर वेलेजली को बरेली क्षेत्र का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया।

जिसके की निम्न उद्देश्य थे

- नवाब के अधिकारियों से राजस्व रिकॉर्ड जब्त करना।
- विद्रोही जमींदारों और रूहेला सरदारों की शक्ति को तोडना।
- एक नई राजस्व स्थापित करना।

इस प्रकार 1801 ई के पश्चात रुहेलखंड को ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया जाएगा यही से उसे राजनीतिक संक्रमण की शुरुआत होती है जिसने अगले 50 वर्षों में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को बदलकर रख दिया जिसकी परिणति 1857 के महा विद्रोह में देखने को मिलती है

■ **प्रशासनिक और न्यायिक सुधार (1802–1830)**

1801 की संधि के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने न केवल रोहिलखंड की राजनीतिक सीमाओं को बदला बल्कि यहां की प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदल दिया अवध के नवाब और रोहिल्ला सरदारों की शासन प्रणाली जो मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रही थी, पर आधारित थी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर

उसकी जगह पर नई व्यवस्था को लागू किया जो कि ऊपर से थोपी गई व्यवस्था थी इसलिए इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की हित में न होकर उनके लिए दमनकारी सिद्ध हुई।

- हालांकि भू राजस्व व्यवस्था कानून व्यवस्था से इस रूप में उलझी हुई थी की कानून व्यवस्था में सुधार लाए बगैर भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करना संभव नहीं इसलिए कानून व्यवस्था में भी सुधार किया गया दूसरा स्थानीय स्तर पर जमींदार और जो फौजदार होते थे वही कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदाई होते थे किंतु इन ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा जमीदारों और फौजदारों से वह शक्ति ले ली गई।

- जमींदारों का अधिकार हनन : 1802–1803 के विनियमों के तहत जमींदारों को उनकी पुलिस शक्तियों से वंचित कर दिया गया। अब वे अपने क्षेत्र में न्याय करने या अपराधी को दंड देने के अधिकारी नहीं रहे।

- पूरे रोहिलखंड को छोटे–छोटे भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित कर थाना व्यवस्था की शुरुआत की गई थाने का प्रभारी दरोगा नामक अधिकारी होता था जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदाई होता था।

- हालाँकि, इस नई पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य अपराध कम करना था, लेकिन स्थानीय जमींदारों के साथ दरोगा का पद भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। स्थानीय जमींदारों के प्रभाव को कम करने के लिए दरोगाओं ने अक्सर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जिससे ग्रामीण समाज में भय का माहौल पैदा हुआ।

न्यायिक प्रणाली : बरेली प्रांतीय न्यायालय और अदालती जाल

रूहेलों के समय में न्याय सस्ता होता था, जो काजी या ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था। अंग्रेजों ने 1793 के कॉर्नवालिस कोड पर आधारित एक पदानुक्रमित न्यायिक ढांचा रूहेलखंड में लागू किया।

- अदालतों का पदानुक्रम : सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ और सदर अमीन की अदालतें थीं, जो छोटे दीवानी मामलों को सुनती थीं। इनके ऊपर जिला जज होता था।

- बरेली प्रोविंशियल कोर्ट : गंभीर आपराधिक मामलों और अपीलों की सुनवाई के लिए बरेली में एक प्रांतीय अपील न्यायालय की स्थापना की गई। यह पूरे रूहेलखंड मंडल के लिए सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी।

- कानून की जटिलता : अंग्रेजों ने दीवानी एवं फौजदारी कानून का संहिताकारण किया और इसके पश्चात यह प्रक्रिया इतनी जटिल बन गई थी कि सामान्य जन के लिए उसे समझ पाना मुश्किल था तथा न्याय पाना और भी मुश्किल क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली थी इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वकील के रूप में एक नए वर्ग का उदय हुआ जो शुरुआती समय में ब्रिटिश पक्षधर ही बना रहा।

स्थानीय असंतोष और सामाजिक प्रभाव

यह नई प्रशासनिक व्यवस्था रूहेलखंड के सामाजिक ताने–बाने के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। इसके कई कारण थेः

- न्याय का महंगा होनाः ब्रिटिश अदालतों में न्याय पाने के लिए स्टाम्प शुल्क देना अनिवार्य था, जबकि मुगल रूहेला काल में न्याय निःशुल्क था। विलंब और दूरी पहले न्याय गांव की चौपाल पर मिलता था, अब इसके लिए मुंसिफ य सदर अमीन य इनके ऊपर जिला जज की अदालत।
- रूहेला सरदार, जो अपने कबीले के प्रमुख होते थे, उन्हें अब एक साधारण किसान या व्यापारी के साथ अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ता था। इसे उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर चोट माना।
- विलंब और दूरीः पहले न्याय गांव की चौपाल पर मिलता था, अब इसके लिए बरेली या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, जहाँ तारीखों का लंबा सिलसिला चलता था।

■ भू–राजस्व नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण (1801–1850)

औपनिवेशिक कल के वाणिज्य चरण में कंपनी का उद्देश्य रहा था भारत से अधिक से अधिक राजस्व को एकत्र कर उसके एक बड़े भाग को व्यापार में निवेशित कर यहां से लाभ कमाना।

इसलिए जिन–जिन क्षेत्रों पर उनके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया वहां पर कठोर भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई रुहेलखंड भी इससे अलग नहीं 1801 में सत्ता संभालने के बाद भू–राजस्व व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिसमें कठोरता से एवं दमनकारी राजस्व नीति लागू की गई जो की रुहेला नवाबों के शासनकाल में काफी लचीली प्रक्रिया थी उसे अत्यधिक कठोर और शोषणकारी नीति में बदल दिया गया।

भू–राजस्व बंदोबस्त और कठोर वसूली

1801 से 1833 के बीच रूहेलखंड में कई अल्पकालिक राजस्व बंदोबस्त लागू किए गए। प्रारंभिक वर्षों में, ब्रिटिश कलेक्टरों ने राजस्व की मांग को बहुत बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए, बरेली और मुरादाबाद जिलों में राजस्व की मांग पहले की तुलना में काफी बढ़ा दी गई।

अंग्रेजों ने सूर्यास्त कानून की तर्ज पर काम किया, जहाँ निश्चित तारीख तक राजस्व का नकद भुगतान अनिवार्य था। चाहे अकाल पड़े या सूखा, सरकारी खजाने को अपना हिस्सा चाहिए था। नवाब के समय में किसान उपज के रूप में भी भू–राजस्व कर दे सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने केवल नकद भू–राजस्व की मांग की। इससे किसानों को अपनी फसल कटत ही, कम दामों पर बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वे साहूकारों के जाल में फंसते चले गए।

नीलामी प्रथा और पुराने जमींदारों का विस्थापन

यह ब्रिटिश भू–राजस्व नीति का सबसे विनाशकारी पहलू था। जब पुराने रूहेला या राजपूत जमींदार बढ़ा हुआ लगान समय पर चुकाने में असमर्थ हो जाते, तो अंग्रेज उनकी पुश्तैनी जमीनें नीलाम कर देते थे।

- नए वर्ग का उदय : इन नीलामियों में अक्सर कलकत्ता या दिल्ली के अमीर व्यापारी, महाजन और कंपनी के अधीनस्थ कर्मचारी जमीनें खरीद लेते थे। ये लोग अनुपस्थित जमींदार थे, जिनका गांव और किसानों से कोई भावनात्मक या सामाजिक जुड़ाव नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था।

- सामाजिक विघटन : सदियों से चले आ रहे संरक्षक–आश्रित संबंध टूट गए। रूहेला सरदार, जो पहले गांव के मुखिया थे, अब अपनी ही जमीन पर मजदूर या किराएदार बनकर रह गए। इस अपमान ने कुलीन वर्ग के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत भर दी।

कृषि का वाणिज्यीकरण

लगान को नकद में चुकाने की मजबूरी ने रूहेलखंड में कृषि के स्वरूप को बदल दिया। अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों गन्ना, कपास और विशेष रूप से नील की खेती को प्रोत्साहित किया।

- फसलों में बदलाव : गन्ना, कपास और विशेष रूप से नील की फसलों को बढ़ावा दिया गया, जबकि रूहेलखंड की मिट्टी गन्ने के लिए अधिक उपजाऊ थी, लेकिन इसका लाभ किसानों की जगह मिल मालिकों और व्यापारियों को मिला।

- खाद्य सुरक्षा पर संकट : जब सर्वोत्तम भूमि पर नकदी फसलें उगाई जाने लगीं, तो अनाज का उत्पादन कम हो गया। इसका भयानक परिणाम 1837–38 के अकाल के रूप में सामने आया। जब सूखा पड़ा, तो न तो किसानों के पास अनाज का भंडार था और न ही खरीदने के लिए पैसे। हजारों लोग भुखमरी का शिकार हुए, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने कर वसूली में कोई ढील नहीं दी।

आर्थिक दरिद्रता

1850 आते–आते, रूहेलखंड का किसान कर्ज के दुष्चक्र में पूरी तरह फंस चुका था। हस्तशिल्प उद्योग भी ब्रिटिश मशीन–निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा और शाही संरक्षण खत्म होने के कारण पतन की ओर था। गांव आत्मनिर्भर इकाइयों से बदलकर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता बन गए थे।

■ 1857 का विद्रोह : प्रतिक्रिया और खान बहादुर खान का संक्षिप्त शासन

1801 ईस्वी में रोहिलखंड क्षेत्र को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया उसके पश्चात 1813 में कंपनी के जैसे औपनिवेशिक हित बदले उसके संदर्भ में उसके अवध और रोहिलखंड के क्षेत्र में भी संबंधों में बदलाव आया रोहिलखंड वा अवध के क्षेत्र में हम देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था को बहाल किया गया यहां पहले से स्थापित

जमींदारों की शक्तियां तोड़ दी गई उनके किले तोड़ दिए गए तालुकादार को बर्खास्त कर दिया गया जिनका असंतोष हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है।

विद्रोह का विस्फोट (मई–जून 1857)

मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की खबर जैसे ही रूहेलखंड पहुँची, ब्रिटिश प्रशासन में घबराहट फैल गई। 31 मई 1857 को रविवार के दिन, बरेली में तैनात 18वीं और 68वीं नेटिव इन्फैंट्री ने विद्रोह कर दिया।

- ब्रिटिश पलायन : विद्रोह इतना तीव्र और नियोजित था कि ब्रिटिश अधिकारियों को संभलने का मौका नहीं मिला। ब्रिगेडियर सिबबाल्ड की हत्या कर दी गई और कमिश्नर अलेक्जेंडर और अन्य अंग्रेज नैनीताल की पहाड़ियों की ओर भाग गए।

- संपूर्ण रूहेलखंड में प्रसार : बरेली के बाद, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में भी ब्रिटिश सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जून के पहले सप्ताह तक, रूहेलखंड में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया।

खान बहादुर खान और स्वराज की स्थापना

विद्रोह के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी अराजकता को रोकना और एक वैकल्पिक सरकार देना। इस शून्य को भरने के लिए हाफिज रहमत खान के पोते, खान बहादुर खान आगे आए। वे अंग्रेजों के अधीन एक पेंशनभोगी और सदर अमीन के पद पर रह चुके थे, लेकिन जनता की नजरों में वे रूहेला गौरव के प्रतीक थे।

- सत्ता ग्रहण : खान बहादुर खान ने स्वयं को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाजिम घोषित किया। उन्होंने बरेली में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए।

- प्रशासनिक पुनर्गठन : उन्होंने तुरंत एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। अंग्रेजों द्वारा हटाए गए पुराने जमींदारों को उनके अधिकार वापस दिए गए और राजस्व वसूली का काम शुरू किया गया ताकि सेना का खर्च उठाया जा सके।

हिंदू–मुस्लिम एकता का अनुकरणीय उदाहरण

- खान बहादुर खान का शासन सांप्रदायिक सौहार्द का एक बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेकिन खान बहादुर खान ने दोनों समुदायों को एक सूत्र में पिरोया।

- शोभा राम की नियुक्ति : उन्होंने एक स्थानीय कायस्थ, दीवान शोभा राम को अपना दीवान (प्रधानमंत्री) और मुख्य सलाहकार नियुक्त किया, जो प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी का प्रमाण था।

- गोहत्या पर प्रतिबंध : हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए, खान बहादुर खान ने अपने राज्य में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया।

- सैन्य संगठन : उनकी सेना में राजपूत ठाकुरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेनापति बख्त खान ने प्रारंभिक दौर में सेना को संगठित किया था।

ब्रिटिश प्रतिशोध और पतन (1858)

लगभग एक वर्ष तक रूहेलखंड पूरी तरह से स्वतंत्र रहा। लेकिन 1857 के अंत तक दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो चुका था और अब उनका ध्यान रूहेलखंड की ओर था।

बरेली का युद्ध (मई 1858) : ब्रिटिश कमांडर–इन–चीफ सर कॉलिन कैंपबेल ने एक विशाल सेना के साथ बरेली को घेर लिया। मई 1858 को नकटिया नदी के पास निर्णायक युद्ध हुआ। खान बहादुर खान की सेना ने वीरतापूर्वक सामना किया, लेकिन ब्रिटिश तोपखाने और बेहतर संगठन के सामने वे टिक न सके।

परिणाम : 7 मई 1858 को बरेली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। खान बहादुर खान को नेपाल की तराई में शरण लेनी पड़ी, जहाँ बाद में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और 1860 में बरेली कोतवाली के सामने फांसी दे दी गई।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन, जो 1801 से 1857 के मध्य रूहेलखंड में ब्रिटिश हस्तक्षेप और राजनीतिक सत्ता के संक्रमण पर केंद्रित है, यह निष्कर्ष प्रतिपादित करता है कि यह कालखंड केवल शासकों के परिवर्तन का नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक उथल–पुथल का दौर था। 1801 की संधि ने न केवल क्षेत्र की राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त कर औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि सदियों पुरानी रूहेला और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया। ब्रिटिश सत्ता द्वारा थोपी गई जटिल न्यायिक प्रणाली, पुलिसिया दमन और विशेष रूप से कठोर भू–राजस्व नीतियों ने पारंपरिक कुलीन वर्ग को विस्थापित कर दिया और कृषक समाज को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया, जिससे ग्रामीण समाज का परंपरागत ताना–बाना बिखर गया। अंततः, यह स्पष्ट है कि 1857 का महाविद्रोह और खान बहादुर खान द्वारा स्थापित समानांतर सरकार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह 56 वर्षों के ब्रिटिश आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक विफलता के विरुद्ध संचित जनाक्रोश का एक अनिवार्य विस्फोट था, जिसने यह सिद्ध किया कि औपनिवेशिक कानून के शासन की तुलना में जनता अपनी देशीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अधिक निष्ठावान थी।

संदर्भ सूची

1. Strachey, J. (1892). Hastings and the Rohilla War. Clarendon Press.
2. Hunter, W. W. (1885). The Imperial Gazetteer of India (2nd ed., Vol. 2). Trübner & Co.
3. Nevill, H. R. (1911). District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh: Bareilly (Vol. 13). Government Press.
4. Sharp, H. (Ed.). (1866). Selections from the Revenue Records of the North-West Provinces (1818-1820).
5. Hunter, W. W. (Ed.). (1881). The Imperial Gazetteer of India (Vol. 6). Trübner & Co
6. The Asiatic Annual Register. (1801). Treaty with the Nabob Vizir. J. Debrett.
7. नफीज सिद्दीकी, रुहेला इतिहास एवं संस्कृति,
8. Khan, N. M. (1831). The Life of Hafiz Ool-Moolk, Hafiz Rehmut Khan (C. Elliott, Trans.). Oriental Translation Fund. (Original work published 1792).
9. Srivastava, A. L. (1945). Shuja-ud-Daulah (Vol. 2). Minerva Book Shop.
10. Select Committee. (1774). Select Committee Proceedings (File No. 524). National Archives of India.
11. Firminger, W. K. (Ed.). (1917). The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company. R. Cambray & Co.
12. Macpherson, W. C. (Ed.). (1928). Soldiering in India, 1764-1787. William Blackwood & Sons.
13. Heber, R. (1828). Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825. John Murray.
14. Bayly, C. A. (1983). Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion 1770-1870. Cambridge University Press.